यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपनिदेशक, गो वंद वन्य जीव वहार, पुरोला, उत्तरकाशी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी भी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उपनिदेशक, गो वंद वन्य जीव वहार, पुरोला, उत्तरकाशी के माह 06/2015 से माह 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव एवं श्री गो वंद कुमार संह सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री एफ़ आर खान, वरिष्ठ संप्रेक्षक द्वारा दिनांक 23.09.2017 से 29.09.2017 तक श्री के0 एल0 भट्ट वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री राकेश रंजन, सुश्री मानसी जैन, सहायक लेखापरीक्षा अ धकारियों एवं श्री वनीत कु. राही, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20/06/2015 से 01/07/2015 तक श्री हनुमान संह, लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी जिसमें माह 03/2012 से 05/2012 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2015 से 03/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः वानिकी एवं वन्य जीवन को संर क्षत करने के कार्य एवं रु पन, सु पन तथा साँकरी रेंज का क्षेत्र।

(ii) (अ) **राजस्व का विवरणः** विगत तीन वर्षो में कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का व्यौरा निम्नवत है :

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
2014-15	14.39
2015-16	33.66
2016-17	46.68

(ii) (ब) बजट का विवरण

वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष (` लाख में)		स्थापना (` लाख में)		गैर स्थापना (` लाख में)	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय
2014-15	-	-	224.98	218.03	150.52	150.19
2015-16	-	-	164.96	159.94	247.70	240.49
2016-17	-	-	239.86	213.94	300.45	244.29

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय
2015-16	Integrated Development of wild life habitat	-	40,38,000	40,38,000
2016-17		-	48,75,000	0.00

(iii) इकाई को बजट आवंटन (केंद्र एवं राज्य सरकार) द्वारा कया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई सी श्रेणी की है।

(iv) वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1प्रमुख वन संरक्षक 2.अपर प्रमुख वन संरक्षक 3 मुख्य वन संरक्षक 4. वन संरक्षक 5. प्रभागीय वनाधिकारी

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में उपनिदेशक, गो वंद वन्य जीव वहार, पुरोला, उत्तरकाशी को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन उपनिदेशक, गो वंद वन्य जीव वहार, पुरोला, उत्तरकाशी की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(Vi) वस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित कया गया।

माह 03/2016 एवं 03/2017 को वस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित कया गया।

योजना का चयन: यदि हो तो ----------

का वस्तृत वश्लेषण कया गया। प्रतिचयन .....------ ....

(Vii) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 एवं लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-II 'अ'

(अति गम्भीर अनिय मतताएं)

प्रस्तर-1

(इस भाग में निय मतता से संबं धत मामले/व शष्ट वषयों के मामले एवं औ चत्य से संबं धत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मि लत कये जांय)

भाग-II 'ब'

(गम्भीर अनिय मतताएं)

प्रस्तर-1

(इस भाग में निय मतता तथा औ चत्य दोनों से संबं धत प्रासं गक लेखापरीक्षा निष्कर्ष सम्मि लत होंगे। यदि सम्भव हो, तो लेखापरीक्षा निष्कर्षों को उनके महत्व तथा व शष्टता के आधार पर घटते क्रम में बनाया जाय)

व्यय की लेखा-परीक्षा

भाग-II-अ

प्रस्तर-1

भाग-II 'ब'

प्रस्तर-1

(व्यय)
भाग दो ब

प्रस्तर 01- अनियमित व्यय ₹ **66.56** लाख

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 के वाह्य स्रोत से सेवाओं की प्राप्ति हेतु नियम 61.(2) के अनुसार ₹ 10,00,000 (₹ दस लाख) से अधिक लागत के कार्यों/सेवाओं हेतु सम्बन्धित विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा कम से कम एक व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन एवं संगठन की वेबसाइट के माध्यम से प्रस्ताव प्रेषित करने की निर्धारित तिथि तथा समय आदि तक प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए निविदा सूचना निर्गत की जाए।

कार्यालय **उपनिदेशक, गो वंद वन्य जीव वहार, पुरोला, उत्तरकाशी** की रोकड़ बही तथा सम्बन्धित अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि मै0 गर्ग कान्ट्रेक्ट सर्विस द्वारा **जनवरी 2016** से मार्च 2017 तक श्रम शक्ति उपलब्ध करायी गयी थी तथा कान्ट्रैक्ट एजेन्सी को इसके लिए 06/2015 से 03/2017 तक ₹ 66.56 लाख का भुगतान किया गया था। मै0 गर्ग कान्ट्रेक्ट सर्विस श्रम शक्ति बिना निविदा/कोटषन के आमंत्रण के बिना लिया गया था। जबकि उक्त सर्विस प्राप्त किये जाने उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्युरमेंट) नियमावली, 2008 निविदा सूचना निर्गत की जानी चाहिए थी जिससे कि इन अधिप्राप्तियों पर मूल्य प्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त हो सके। नियमानुसार निविदा का आमंत्रण न करके ₹ 66.56 लाख का अनियमित व्यय किया गया था।

उक्त को इंगित किये जाने पर **उपनिदेशक** द्वारा तथ्यों की पुष्टि की गयी एवं अवगत कराया गया कि इस विषय में निविदा प्रमुख वन संरक्षक द्वारा पूरे राज्य के लिए आमंत्रित की जाती है। तथापि, इस विषय में कोई भी साक्ष्य उपनिदेशक कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः, विभाग का उत्तर स्वीकार करने योग्य नहीं है।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यय)
भाग दो ब

प्रस्तर 02- निष्फल व्यय ₹ **16.414** लाख

वन्य जीव विहार के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि वर्ष 2010-11 में कैम्पा योजना से 3 पौधालयों का निर्माण करवाया गया था उक्त पौधालयों के अनुरक्षण पर वर्ष **2010-11** से वर्ष 2012-13 तक कुल ₹16.414 लाख का व्यय किया गया। उसके बाद उक्त पौधालय के अनुरक्षण पर कोई भी व्यय नहीं किया गया। वर्ष 2016-17 के अंत में उक्त पौधालयों में 76671 पौध उपलब्ध है जो कि पाँच वर्ष से अधिक होने के कारण वृक्षारोपण योग्य नहीं रह गयी है। चूंकि, वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क/संरक्षित क्षेत्र है अतः इसमें वृक्षारोपण का कार्य नहीं होना चाहिए। इसलिए, विहार में पौधालय का निर्माण किया जाना पूरे तरीके से अनुचित था।

इस विषय में इंगित किए जाने पर उपनिदेशक ने कहा कि उपरोक्त पौध का उपयोग 2017-18 में हरेला इत्यादि योजनाओं में किया जा रहा है। तथापि, पाँच वर्ष से अधिक की पौध का प्रयोग किया जाना वन विभाग में प्रचलित पद्धति के पूर्णतःविपरीत है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

व्यय)

भाग दो ब

प्रस्तर 03- ₹ **28.47** लाख मूल्य के प्रमाणकों के साथ क्रय के बिल संलग्न न कया जाना।

प्रभाग की मार्च 2016 एवं मार्च 2017 की कैश बुक की जांच में पाया गया क ₹ 28.47 लाख मूल्य के प्रमाणकों के साथ क्रय के बिल संलग्न नहीं कए गए थे। बिल संलग्न न कए जाने के कारण उक्त सामान के क्रय के वषय में पूर्णतः सुनिश्चित नहीं हुआ जा सकता क्यों क उक्त समस्त वस्तुएँ उपभोग योग्य हैं जिनकी उपभोग हो जाने के पश्चात कालांतर में जांच नहीं की जा सकती है। साथ ही, प्रमाणकों के साथ बिल संलग्न न कया जाना वत्तीय नियमों एवं प्रच लत पद्धति के वपरीत है।

इस वषय में इं गत कए जाने पर उपनिदेशक ने बताया क बिलों को प्रमाणकों के साथ संलग्न कर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में भेज दिया जाता है। तथा प, उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्यों क बिलों क एक प्रति कार्यालय में रखे प्रमाणकों के साथ भी रखी जाती है ता क प्रमाणकों की लेखापरीक्षा संपादित कारवाई जा सके। उपनिदेशक का उत्तर वभाग में पालन की जा रही प्र क्रया के पूर्णतः वपरीत है।

प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

भाग-III

राजस्व से संबंधत वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
50/2015-16	-	01,02

व्यय से संबंधत: वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
12/2012-13	-	01,02,03
50/2015-16	-	01,02,03 एवं स्टैन 01,02

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

(2) राजस्व से संबंधत इकाई द्वारा निस्पादित अच्छे कार्य

भाग-**V**

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने प्रभागीय वन धकारी**,** भू म संरक्षण वन प्रभाग कालसी तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

   1 वगत प्रतिवेदनों की अनुपालन आख्या

   2 वगत लेखापरीक्षा अव ध में 159.39 लाख के IWM के अ भलेख, जो पुरानी लेखापरीक्षा दल को प्रस्तुत नहीं कए गये थे, पुनः अप्रस्तुत रहे।

2. सतत् अनिय मतताएः **(**राजस्व एवं व्यय से संबं धत अलग अलग दर्शाएँ**)**

3. लेखापरीक्षा अव ध में निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्री टी.आर. बीजूलाल	उप निदेशक
(ii)	श्री सन्दीप कुमार	उप निदेशक
(iii)	श्री आकाश कुमार वर्मा	उप निदेशक
(iv)	श्री राजेन्द्र प्रसाद मश्रा	उप निदेशक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रभागीय वन धकारी, भू म संरक्षण वन प्रभाग कालसी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार (राजस्व), कार्यालय महालेखाकर (लेखापरीक्षा)- उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी